राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ.27( )आयु.उद्योग/स्टोर अनु./खुली निविदा/2018–19 दिनांक : 3-8-2018

:: निविदा सूचना ::

इस कार्यालय में एक वर्ष के लिए लेखन सामग्री, कम्प्यूटर सामग्री, सफाई सामग्री एवं विधुत सामग्री की खरीद हेतु विनिर्माताओं/अधिकृत डीलरों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :–

क्र.सं.	नाम सामग्री	अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1.	लेखन सामग्री	2.00 लाख	4000.00
2.	कम्प्यूटर लेखन सामग्री	5.00 लाख	10,000.00
3.	विद्युत सामग्री	1.00 लाख	2,000.00
4.	सफाई सामग्री	0.50 लाख	1,000.00

बिड फार्म संख्या	
बिड फार्म विक्रय दिनांक एवं समय	10.08.2018 को प्रातः 11:00 बजे से
बिड फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि एवं समय	24.08.2018 को 04:00 PM तक
बिड फार्म प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	28.08.2018 को 1:00 PM तक
बिड फार्म खोले जाने की तिथि एवं समय	30.08.2018 को 11:30 AM
बिड फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	sppp.raj.nic.in rajind.rajasthan.gov.in
बिड फार्म की वैद्यता अवधि	90 days from the date of opening of Bid

प्रदाय की जाने वाली सामग्री/कार्य की विस्तृत विवरण बिड फार्म के साथ संलग्न है। प्रत्येक सामग्री के लिए अलग–अलग बिड फार्म भरा जायेगा। बिड फार्म का शुल्क 200/– रूपये हैं।

भवदीय,

आयुक्त, उद्योग

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

:: निविदा पत्र ::

वर्ष 2018–19 में लेखन सामग्री, कम्प्यूटर लेखन सामग्री, सफाई सामग्री एवं विद्युत सामग्री सप्लाई आदि कार्य हेतु दर संविदा निर्धारण हेतु बिड प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक : एफ.27(   )आयु.उ./स्टोर/खुली निविदा/2018–19   दिनांक :

1.	बिड प्रपत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता	(अ)	संस्था/कार्यालय/एजेन्सी ....(मय टेलीफोन नम्बर)
		(ब)	संस्था/कार्यालय/एजेन्सी ....(मय टेलीफोन नम्बर)
2.	बिड प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/- (अक्षरे दो सौ मात्र) (अप्रतिदेय)	–	रसीद संख्या .... दिनांक............
3.	बोली प्रतिभूति 2 प्रतिशत की दर से (सामग्री जिनकी दरें दी गई, के मूल्य का 2% प्रतिशत)	–	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक....................राशि...................... रूपये बैंक का नाम.............................. ....
4.	बिड प्रपत्र विक्रय की अन्तिम दिनांक		दिनांक 24.08.2018 सायं 4:00 बजे तक
5.	बिड फार्म प्रस्तुत करने एवं निविदाओं को खोलने की दिनांक एवं स्थान	–	दिनांक 28.08.2018 को दोपहर 01:00 बजे तक प्रस्तुत की जाकर दिनांक 30.08.2018 को प्रातः 11:30 बजे अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रशासन) के कक्ष में।

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

6. मैं/हम आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक : एफ.27( )आ.उ./ स्टोर अनु./ खुली निविदा/2018–19 दिनांक 26.07.2018 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों **(जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं)** में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

7. सामग्री प्रदाय करने का स्थल आयुक्त उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राज.,जयपुर का कार्यालय/गोदाम होगा।

8. फर्म द्वारा क्रयादेश प्राप्त करने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी दी जावेगी।

9. यह निविदा वार्षिक आधार पर है, जो समय–समय पर कार्यालय की आवश्यकतानुसार क्रयादेश के लिए होगी एवं प्रस्तुत समस्त दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

10. GST के तहत पंजीकरण/एस.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र/पी.पी.सी. प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. मै/हम स्वामी/भागीदार फर्म के यह अधिघोषित करते है कि किसी भी राजकीय विभाग (जिसमें स्थानीय निकाय बोर्ड, निगम सम्मिलित है) द्वारा हमारे व्यवसायिक लेन–देन पर रोक नहीं लगाई गई है।

12. वस्तुओं का मेक व कम्पनी का नाम, दर व अनुमानित मात्रा की कुल राशि निविदादाता द्वारा भरी जायेगी। यदि इन आईटमों पर कोई राजकीय कर देय हो, तो उसका उल्लेख दरों के साथ किया जाये अन्यथा बाद में टेक्स देय नहीं होगा।

13. **सामग्री की मात्रा कम–अधिक की जा सकती है तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार करके Split क्रयादेश दिये जा सकेंगे।**

14. **निविदा फार्म जमा कराने के साथ संलग्न प्रपत्रों का विवरण :–**

    1. ....
    2. ....
    3. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

बिड हेतु संबंधित संस्था/कार्यालय/एजेन्सी के लिए बोली दस्तावेज की शर्ते

नोटः– **निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदाएं भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए अन्यथा बोली दस्तावेज पर विचार नहीं किया जावेगा। इस बोली दस्तावेज/अनुबन्ध के क्रम में की जाने वाली क्रय व सभी आपूर्ति पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे/रहेगें।**

1. **निविदाओं को निविदा सूचना** (निविदा फार्म) में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी चाहिए।
2. **निविदायें वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता द्वारा दी जायेगी।** अतः वे एस. आर.11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें।
3. **बिड फार्म के लेखन सामग्री के विवरण में अंकित क्रम संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20, 26, 27, 28 व 41 एवं कम्प्यूटर सामग्री के विरण में अंकित में क्रम संख्या–1 एवं विद्युत सामग्री के विवरण में अंकित क्रम संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 व 32 और सफाई सामग्री के विवरण में अंकित क्रम संख्या–1, 2, 10, 14, 15, 18, 19 व 20 पर अंकित आईटम राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के उद्यमियों से क्रय करने हेतु रिजर्व आईटम्सकी लिस्ट मे हैं, इसलिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के उद्यमियों से निविदा प्राप्त होने पर उन्हीं से ही क्रय किया जावेगा। राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से निविदा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ही अन्य निविदादाताओं की बिड्स पर विचार किया जावेगा।**
4. 1. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जायेगा।
   2. संविदा के संबंध में फर्म में किसी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में स्वीकार नही किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या वाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति **(डिस्चाज)** होगी।
5. **वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान** सरकार के नियमों के तहत GST के अधीन फर्म पंजीकृत होनी चाहिए।
6. **निविदा प्रारूप स्याही से भरा** जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. **दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंकों** दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां **(Errors)**/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों, तो ये स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में GST की राशि पृथक से दिखाना चाहिए।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। **सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाडा** कार्टेज या परिवहन प्रभारों का भुगतान नही किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी आयुक्तालय उद्योग भवन (भण्डार) में की जायेगी।
9. 1. <u>दरों की तुलना</u> : राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना–बिडर फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय कीमत अधिमान प्रचलित/प्रभावी नियमों के अनुसार देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

10. मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान – बोलियों के मूल्यांकन औरसंविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

11. **विधि मान्यता** : निविदायें, उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह तक की अवधि के लिए मान्य होगी।

12. **अनुमोदित प्रदायकर्ता** के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाली अनुमोदित वस्तुओं की दशा स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक व ड्राइंग्स आदि की विभाग में उपलब्ध सैम्पल के अनुसार सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो यह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे, स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. **ठेकेदार अपनी संविदा को** या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े **(Sublet)** पर नहीं देगा।

14. **विशेष विवरण** :–

(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेड मार्क के पूर्णतया अनुरूप ही होगी। अन्य प्रकार की स्पेसीफिकेशन की प्रेषित दरें मान्य नहीं होगीं।

(2) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य प्रदार्थों के मामलें में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप हैं तथा क्या सैम्पल यदि कोई जो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

15. निरीक्षण :–

(1) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत, प्राधिकृत, प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(2) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम एवं वर्कशॉप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देंगे, जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नये रूप में प्रविष्ठ हुए हैं, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

16. **सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी**, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है या नहीं।

17. **सैम्पल** : अनूसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदा वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जायेगें। नमूने संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

18. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसे उपयुक्त ढंग से चिन्हित किया जायेंगा, उस पर निविदादाता का नाम हस्ताक्षर मद की क्रम संख्या, जिसका अनुसूचीं में नमूना है, आदि लिखा जावेगा।

19. निविदा में दरें वार्षिक दर संविदा के अन्तर्गत चाही गई हैं। अतः उक्त दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध होंगी तथा सामग्री के क्रयादेश आवश्यकता अनुसार समय–समय पर दिये जायेगें। सामग्री क्रय की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है।

20. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट व हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत **(Forefiet)** कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इक्टठ्ा किया जाएगा, जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाना है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

21. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं,, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

22. <u>नमूने निकालना</u> : परीक्षणों के मामलें मे, निविदादाता व उसके प्राधिकृत प्रतिनिधी की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटो को प्रयोगशालाओं एवं या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिपादित किया जाएगा।

23. **<u>परीक्षण प्रभार</u> :** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किया जावेगा, यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो, कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे। <u>सामान की आपूर्ति में उसी तरह के सामान / मात्रा की बाजार में उपलब्ध सामान / मात्रा की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा पाया जाता है, तो विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने मे सक्षम होगा।</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

24. <u>रद्द करना</u> :

1. निरीक्षण या परीक्षण दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाएगी, उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलेगा।

2. तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उन वस्तुओं को बदलना साध्य **(Feasible)** नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से, जो अभिलेखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

25. **रद्द की गई वस्तुओं को** निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा। इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।

26. **निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए** उत्तरदायी होगा, ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गंतव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि/क्षति, टूटफूट या रिसाव, लीकेज या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल की कार्यालय द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

27. **प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल** की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत **(Repudiate)** कर सकता है तथ इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

28. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की आर्हता **(Disqualification)** होगी।

29. 1. **<u>सुपुर्दगी अवधि</u>** :– निविदादाता, जिस संस्था की निविदा स्वीकार की जाएगी, सप्लाई आदेश की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय/गोदाम तक सामान सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा। सामान की आपूर्ति के पश्चात् विभाग को <u>GST बिल ही प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही फर्म के नाम का बैंक खाता/IFSC Code समान होना अनिवार्य है।</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

2. **<u>मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना</u>** :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित मात्रा में पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तो पर ही दिये जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए होगें। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहाता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी, उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

3. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता को किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

30. <u>बयाना राशि</u> :–

(1) निविदा के साथ फर्म द्वारा जिन–जिन सामग्री की दरें दी जा रही हैं, उसके क्रय मूल्य का 2% बयाना राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिए।

(i) नकद शीर्ष 8443 सिविल निक्षेप–103–प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रैजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से **(जयपुर में भुगतान योग्य)**

(2) **बयाना राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड ऑफ अर्नेष्ट मनी)** असफल निविदादाता/संस्था की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जायेगी।

(3) **<u>बयाना राशि से छूट</u>** :– जो फर्में आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के जिला उद्योग केन्द्रों के पास पंजीकृत है, उन्हें उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में पंजीकृत है, बयाना राशि नियमानुसार छूट देय होगी, किन्तु इस शर्त के अध्यधीन है कि पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में या उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी या उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक प्रति आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान से प्राप्त सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगीं। **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–42 के अनुसार राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए 0.5% एवं रूग्ण उद्योगों की दशा में 1.0% बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी।**

(4) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

(5) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नही किया जायेगा यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

31. <u>बयाना राशि का समपहरण</u> :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :–

1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व ही प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण **(Modification)** करता है।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हैं।
3. जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद भी प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

4. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई क्रय आदेश के अनुसार कार्य करने में असफल रहता हो।
5. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

32. (1) <u>करार एवं प्रतिभूति निक्षेप</u> :–

1. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों **(Stores)** के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5% के बराबर प्रतिभूति राशि भी जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, से 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी। **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–75 के अनुसार राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए 1% एवं रूग्ण उद्योगों की दशा में 2% प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जायेगी।**
2. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।
3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे :–
   1. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालन की रसीद प्रति।
   2. डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी **(Pledge)** रखा जायेगा।
   3. अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत, योगजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।
5. एक समय पर खरीद के मामलें कार्यादेश के अनुसार मदों को अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर **(Staggered)** किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी की अवधि, यदि कोई हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाया **(Outstanding)** नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
6. आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान द्वारा पंजीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिस सामान हेतु इकाई पंजीकृत है, निविदादाता द्वारा उद्योग विभाग के कार्यालय से जारी पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर से प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।
7. केन्द्र सरकार एवं राज. सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(2) <u>प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण</u> :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :–

1. जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय को सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामलें में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) **करार पत्र को पूर्ण करने एवं** उस पर स्टाम्प लगने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पड़त (काउन्टर फाईल) निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

33. **समस्त प्रदाय सामग्री रेल्वे/गुड्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से** भाड़ा चुकाकर ही भेजा जायेगा। अगर भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता **(Supplier)** के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

34. बीमा :

1. सामान्य गन्तव्य कार्यालय भण्डार/गोदाम पर सामग्री का प्रदाय किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो यह मूल्यावान सामानों को चोरी, नाश या क्षय या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, दंगा आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा।

35. भुगतान :

1. राशि का भुगतान माल अच्छी हालत **According to specification** में प्राप्त होने पर तथा उसके साथ निरीक्षण पर निविदादाता को दिये गये उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
2. जब तक पक्षकारों के मध्य, अन्यथा सहमति न हो जाए सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में नियमानुसार 10 से 25 प्रतिशत राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
4. उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

36. 1. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता, क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

2. परिनिर्धारित क्षति **(Liquidate damage)** के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलें में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

1.

क	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	**2.5** प्रतिशत
ख	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	**5** प्रतिशत
ग	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहिल अवधि के तीन–चौथाई अवधिक अवधि के लिए	**7.5** प्रतिशत
घ	विहित अवधि का तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगीं
4. यदि प्रदायकर्ता **(Supplier)** किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा
5. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

37. <u>वसूलियां</u> : परिसमापित नुकसानी, कम सप्लाई टूटफूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में रोकी जाएगी। कम सप्लाई टूटफूट रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिसमापित नुकसानी **(लिक्वीडेटेड डेमेजेज)** के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी।यदि वसूली करना संभव न हो तो राज. पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

38. **निविदादाताओं का यदि आवश्यक हो तो आयात** लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

39. **यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो** इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा का संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप उल्लेखित न किया गया हो।

40. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने का या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता **(Supplier)** से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

41. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो, तो भागीदारी विलेख पार्टनर डीड की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो, तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एकल स्वामित्व के मामलें में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामलें में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के द्वारा जारी किया गया प्रमाण--पत्र।

42. यदि संविदा के निर्वसन **(Interpertation)** आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ **(सोल आर्बिटेटर)** के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा।यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

43. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार **(सरकार या निविदादाता)** द्वारा जयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालय में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

44. **किसी भी सामग्री की सप्लाई के लिए :–**

1. एक से अधिक फर्मों से अनुबन्ध किया जा सकता है।
2. न्यूनतम टेण्डर की गणना प्रत्येक सामग्री की न्यूनतम दर के आधार पर की जावेगी।

45. ऐसे निविदादाता जो वेबसाईट से बिड डोक्यूमेन्ट डाऊनलोड कर उसे पूर्ण कर कार्यालय में बिड प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से अप्रतिदेय राशि रूपये 200/– (बिड फार्म राशि) नकद/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार के नाम बिड फार्म प्रस्तुत करते समय जमा करानी होगी। उक्त राशि के अभाव मे निविदा (बिड) पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

46. बिड डोक्यूमेन्ट का पूर्ण सैट समस्त शर्तों सहित विभाग की अधिकारिक वेबसाईट www.rajind.rajasthan.gov.in. से डाऊनलोड किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामानों/मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड उत्पादक/थोक विक्रेता/प्राधिकृत सेलर/डीलर/विपणन एजेन्ट हूँ/है या इस प्रकार का कार्य करने का अनुभव रखने वाली संस्था/फर्म है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो भी की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2018–19 में खुली निविदा अन्तर्गत क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री का विवरण

(अनुमानित राशि रूपये 2.00 लाख)

क्र.सं.	अपेक्षित सामग्री का विवरण	अपेक्षित मात्रा	अनुमानित लागत
1.	लिफाफे क्राफ्ट पेपर साईज 9" X 4"	8000 नग	
2.	लिफाफे क्राफ्ट पेपर साईज 11" X 5"	8000 नग	
3.	लिफाफे क्राफ्ट पेपर फाइल साईज 18" X 12"	700 नग	
4.	फाइल कवर साईज 14" X 9.5" कार्ड शीट मय प्रिंटिंग कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर–302005	6000 नग	
5.	फाइल पैड (बाइन्डेड) साईज 15" X 9.5" मय प्रिंटिंग कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर–302005	8000 नग	
6.	पीवीसी फाइल फोल्डर एल टाइप साधारण	5000 नग	
7.	गोंद की शीशी 700 ML	20 नग	
8.	गोंद की शीशी 150 ML	50 नग	
9.	करेक्शन पैन (व्हाईटनर)	100 नग	
10.	पैंसिल शार्पनर साधारण (प्लास्टिक निर्मित)	50 नग	
11.	पैंसिल इरेजर साधारण	100 नग	
12.	पोकर साधारण प्लास्टिक हत्थे (10 नग की पैकिंग)	10 पैकेट	
13.	स्टेप्लर मशीन (साइज M–10)	50 नग	
14.	स्टेप्लर पिन (साइज 24/6)(45 P) 1000 पिन का पैकेट	200 पैकेट	
15.	स्टेप्लर पिन (साइज M–10) 1000 पिन का पैकेट	1000 पैकेट	
16.	पैकिंग टेप ग्रे रोल 2"	25 नग	
17.	स्टाम्प पैड मीडियम साईज	40 नग	
18.	स्टाम्प पैड बड़ा साईज	10 नग	
19.	स्टाम्प पैड इंक 30 ML	30 नग	
20.	फोटो कॉपीयर पेपर A–4 साइज 75 GSM 500 शीट प्रति रिम	1000 रिम	
21.	बालपैन साधारण	1000 नग	
22.	पोस्ट इट (पेजमार्क 3 कलर की पैकिंग)	100 पैकेट	
23.	पोस्ट इट येलो बड़ा साईज	50 पैकेट	
24.	Pilot V–5 हाईटेक पैन	250 नग	
25.	एड एचीवर जैल पैन	50 नग	
26.	पेपर वेट प्लास्टिक बॉडी चौकोर 1.5" X 5" साईज	100 नग	
27.	कैल्कूलेटर 12 डिजिट चैकिंग	25 नग	
28.	स्लिप पैड 20 पृष्ठ साईज 14cm X 22cm	500 नग	
29.	जैम पिन क्लिप	200 पैकेट	
30.	ऑल पिन	100 पैकेट	
31.	लाईनदार रजिस्टर 180 पृष्ठ (बाइण्डेड)	100 नग	
32.	लाईनदार रजिस्टर 240 पृष्ठ (बाइण्डेड)	100 नग	
33.	साधारण पैन्सिल HB	100 पैकेट	
34.	फाईल लैस (ग्रीन) दोनों तरफ आईलेट	8000 नग	
35.	फाईल टैग दोनों तरफ आईलेट	5000 नग	
36.	पंचिग मशीन (दो छिद्र वाली)	20 नग	
37.	ग्लू स्टिक 15 ग्राम	150 नग	
38.	स्पाईरल स्लिप पैड (रंगीन)	100 नग	
39.	कार्बन पेपर (ब्लू) F.S.	05 पैकेट	
40.	कार्बन पेपर (ब्लू) साईज 17 X 27	10 नग	
41.	स्केल (प्लास्टिक) 30cm.	20 नग	
42.	स्केल (स्टील) 30cm.	10 नग	
43.	सैलो टेप 33 M.T. Length ½" इंच चौड़ी	100 नग	
44.	सैलो टेप 33 M.T. Length 1" इंच चौड़ी	100 नग	
45.	सैलो टेप 30 M.T. Length 2" इंच चौड़ी	50 नग	
46.	एडजैल पैन की रिफिल (ब्लैक व ब्लू)	50 नग	
47.	V-7 पैन (ब्लैक व ब्लू)	100 नग	

Contd......2

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

48.	हाई लाईटर	200 नग	
49.	पिन कुशन	50 नग	
50.	पीओन बुक	200 नग	
51.	डाक पैड	50 नग	
52.	स्टेपलर 24/6 45 No.	40 नग	
53.	स्टेपलर मीडियम	10 नग	
54.	टेबिल ग्लास 2' X 3'	10 नग	
55.	टेबिल ग्लास 3' X 4'	10 नग	
56.	डम्पिंग	20 नग	
57.	बाईण्डर क्लीप 20mm	10 पैकेट	
58.	बाईण्डर क्लीप 30mm	10 पैकेट	
59.	बाईण्डर क्लीप 41mm	10 पैकेट	
60.	पैन स्टेण्ड	30 नग	

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2018–19 में खुली निविदा अन्तर्गत क्रय की जाने वाली कम्प्यूटर सामग्री का विवरण

(अनुमानित राशि रूपये 5.00 लाख)

क्र.सं.	अपेक्षित सामग्री का विवरण	अपेक्षित मात्रा	अनुमानित लागत
1.	कम्प्यूटर पेपर A–4 साइज 75 GSM 500 शीट प्रति रिम	1000 रिम	
2.	एचपी टोनर कार्टेज HP–88 A	50 नग	
3.	एचपी लेजर जेट कार्टेज 1022 - 12A	10 नग	
4.	एचपी लेजर जेट कार्टेज 1606 dn - 78A	20 नग	
5.	HPCLJ CP1525n CE320A, CE321A CE322A, CE323A	03 सैट	
6.	सीडी मार्कर पैन बोल्ड	20 नग	
7.	स्टेण्डर्ड की–बोर्ड (104 Keys) Microsoft/ TVS Gold	15 नग	
8.	USB Pen Drives 16 GB	75 नग	
9.	USB Pen Drives 64GB	10 नग	
10.	एच.पी. कार्टेज 28A (New)	30 नग	
11.	कम्प्यूटर क्लीनिंग किट	20 नग	
12.	सी.डी.	200 नग	
13.	USB Mouse	20 नग	

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

<u>विद्युत सामग्री</u>

(अनुमानित राशि रूपये 1.00 लाख)

क्र.स.	अपेक्षित सामग्री का विवरण	अपेक्षित मात्रा	अनुमानित लागत
1.	सी.एफ.एल. (पी.एल.लाइट) 36 वाट	100 नग	
2.	सी.एफ.एल. (पी.एल.लाइट) 18 वाट	30 नग	
3.	सी.एफ.एल. (पी.एल.लाइट) 11 वाट	75 नग	
4.	एल.ई.डी. ट्यूब लाइट 18 वाट	50 नग	
5.	ट्यूबलाईट चौंक 40 Watt / 36 Watt	70 नग	
6.	स्टॉटर (ट्यूब लाईट) (पी.एल.लाइट) 36 वाट	100 नग	
7.	ए. सी. बॉक्स सॉकिट	10 नग	
8.	ए. सी. टॉप	10 नग	
9.	**Flaxible Wire**	Two Bundle	
10.	3 कोर वायर 1.5mm	Two Bundle	
11.	2.5mm PVC Wire	Two Bundle	
12.	कन्डेनसर 3.5 MFD	50 नग	
13.	बैल (घण्टी) साधारण	20 नग	
14.	बैल पुश	20 नग	
15.	रिमोट बैल	10 नग	
16.	थ्री पिन टॉप 16 MPR	20 नग	
17.	थ्री पिन टॉप 6 MPR	30 नग	
18.	ट्यूब लाईट चौंक 18 वाट	15 नग	
19.	ट्यूब लाईट चौंक 11 वाट	15 नग	
20.	थ्री पिन सॉकिट 6 Ampr	25 नग	
21.	थ्री पिन स्विच 6 Ampr	25 नग	
22.	फाईव पिन सॉकिट 16 Ampr	20 नग	
23.	फाईव पिन स्विच 16 Ampr	20 नग	
24.	कम्प्यूटर संचालन हेतु एक्सटेंशन बोर्ड	25 नग	
25.	केसिंक पट्टी	100 मीटर	
26.	केसिंग क्लिप	04 पैकेट	
27.	पेंसिल सैल (बैट्री)	200 नग	
28.	एम.सी.बी. (32 Ampr)	30 नग	
29.	एम.सी.बी. (25 Ampr)	30 नग	
30.	एम.सी.बी. (16 Ampr)	50 नग	
31.	टेप रोल	50 नग	
32.	बोर्ड स्क्रु 1.5 एम.एम.	2 पैकिट	

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

सफाई सामग्री

(अनुमानित राशि रूपये 50,000/-)

क्र.स.	अपेक्षित सामग्री का विवरण	अपेक्षित मात्रा	अनुमानित लागत
1.	फिनाईल (बंगाल केमीकल)	100 लीटर	
2.	टॉयलेट सोप	100 नग	
3.	क्लीजिंग पाउडर (एक किलो पैक)	100 किलो	
4.	टॉयलेट क्लीनर (5 लीटर पैक में)	50 नग	
5.	ओडोनिल	50 नग	
6.	यूरिनल क्यूब्स	50 नग	
7.	तेजाब	50 बोतल	
8.	विम पाउडर (एक किलो पैक)	50 किलो	
9.	फूल झाड़ू	20 नग	
10.	नेप्थालीन बोल्स	25 किलो	
11.	फिनिट	20 लीटर	
12.	हिट स्प्रे	30 नग	
13.	रूम फ्रेशनर (प्रीमियम/रेमसन)	30 नग	
14.	वाईपर	12 नग	
15.	जाला हटाने का ब्रश मय बांस	12 नग	
16.	ऑल आउट/मॉर्टिन मशीन	30 नग	
17.	ऑल आउट/मॉर्टिन रिफिल	30 नग	
18.	फ्लौर क्लीनर	30 नग	
19.	टॉयलट ब्रुश	20 नग	
20.	दस्ताने (एक बार काम में आने वाले)	40 नग	

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर